



राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नः 0141-2228066 , 2228064 सीआईएन. :U:24232RJ20118GC035067 फैक्स न 0141-2228065 वंबसाईट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in ई-मेल :: edprocurement@gmail.com एव rmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(326)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-16/2021/\$13

Dated: 13/02/23

कार्यालय आदेश

भैषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(326)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-16/2021/933 Dated:-07.06.2021 के अन्तर्गत निम्नांकित तालिका अनुसार फर्मों द्वारा आइटम कोड 28 (Paracetamol Tab IP 500 mg) के लिये बिड प्रस्तुत की गई थी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 20.07.2021 को एवं वित्तीय बिड 14.10.2021 खोली गई:-

SI.	Item	Description of Work /	Units	Rate	GST	Rate	Name of Firm	Statu
No	Code	ltem(s)		Withou	in %	With GST		S
1	28	Paracetamol Tab IP 500 mg	10x10 Tab Blister	42.29	12	47.36	UNICURE INDIA LTD	LI
				43.46	12	48.68	HEALERS LAB	L2
				43.55	12	48.78	Prochem Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	L3
				44.36	12	49.68	Super Formulations Pvt. Ltd.	1,4
				44.82	12	50.20	SCOTT-EDIL PHARMACIA LTD	L5
				52.11	18	61.49	VIVEK PHARMACHEM (INDIA) LIMITED	1.6
				52.20	12	58.46	CIPCO PHARMACEUTICALS	1.7
-				53.00	12	59.36	Wings Brotech	L8
	-			58.50	12	65.52	INNOVA CAPTAB LTD.	1.9
				58.99	12	66.07	Maxtar Bio Genies	1.10
	-			59.00	12	66.08	MEDIPOL PHARMACEUTICAL INDIA PVT LTD	LI
	1			90.00	12	100.80	DD PHARMACEUTICALS PVT_LTD	DI.

एल-1 फर्म M/s UNICURE INDIA LTD ने अपने पत्र दिनांक 16.10.2021 से अवगत करवाया की उसके द्वारा 10x10 Tab Blister की रेट के स्थान पर 50 Tab. की रेट कोट हो गयी है तथा Consider नहीं करने हेतु लिखा गया, लेकिन बिड में एल-2, एल-3 आदि फर्मों की कोटेड दरों के परिपेक्ष्य में फर्म का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्रय समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 में फर्म M/s UNICURE INDIA LTD के विरूद्ध बिड शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने तथा एल-2 फर्म M/s HEALERS LAB द्वारा कोट की गई दर रू 43.46+GST को उचित मानते हुये दर अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के क्रम में पत्र दिनांक 02.11.2021 द्वारा फर्म M/s HEALERS LAB द्वारा कोट की गई दर को मैच करने हेतु पत्र जारी किया गया, जिसके क्रम में किसी भी फर्म ने इस दर को मैच नहीं किया एवं फर्म M/s HEALERS LAB द्वारा भी स्वयं को एल-1 नहीं मानने तथा LOA जारी नहीं करने हेतु निगम को लिखा गया।

एल-2 फर्म M/s HEALERS LAB के पत्र दिनांक 02.11.2021 द्वारा स्वयं को एल-1 नहीं मानने तथा LOA जारी नहीं करने के क्रम में पत्रावली पर लिये गये निर्णयानुसार एल-3 फर्म M/s Prochem Pharmaceuticals Pvt. Ltd. द्वारा कोट की गई दर्

के 43.55+GST को उचित मानते हुये फर्म को एल-1 माना जाकर LOA जारी करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। फर्म द्वारा स्वयं को एल-1 मानने से इन्कार किया गया।

bi

th

15%

तत्पश्चात् एल—4 फर्म M/s Super Formulations Pvt. Ltd. द्वारा कोट की गई दर रू 44.36 +GST को उचित मानते हुये फर्म को एल—1 माना जाकर LOA जारी करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। फर्म द्वारा स्वयं को एल—1 मानने से इन्कार किया गया।

साथ ही एल—5 फर्म M/s SCOTT-EDIL PHARMACIA LTD ने भी अपने पत्र दिनांक 16.11.2021 में लिखा:— 'As you are aware that the prices of the API of this product has increased a lot and because of this the L1/L2/L3 bidders have withdrawn. We wish to inform you we are not in first three (L1/L2/L3) and we don't own any responsibility to match/offer the prices as quoted in the said tender.'

तत्पश्चात एल—6 फर्म M/s VIVEK PHARMACHEM (INDIA) LIMITED द्वारा कोट की गई दर रू 52.11+GST पर आपूर्ति की सहमति देने पर प्रकरण क्रय समिति की बैठक दिनांक 03.12.2021 में रखा गया। जिसमें M/s VIVEK PHARMACHEM (INDIA) LIMITED द्वारा कोट की गई दर को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त तालिका के क.स. 1 से 5 तक पर अंकित फर्मों को दिनांक 14.02.2022 को तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, जिसके क्रम में फर्म M/s HEALERS LAB ने दिनांक 16.02.2022 को पत्र द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि "Therefore, Kindly note that we have not withdrawn the item, we only gave prior intimation of not offering any rate match or 'Letter of acceptance' to us for this product. Please do not take any action against our firm (Debarring/Blacklisting) as we are not liable for the same". एवं फर्म M/s SCOTT-EDIL PHARMACIA LTD ने दिनांक 16.02.2022 को पत्र द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि " Informed that we have not withdrawn the bid, we have just informed your office that since we stand financially on L5 position of the said bid, and we shall be not in the position to match L1 price. We don't hold any liability of matching the L1 price, this is as per T&C of tender as stated above. M/s Super Formulation ने दिनांक 23.02.2022 को पत्र द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि " That since, the notice Co. was declared as L-4 on 14.10.2021 therefore, having no hope of any orders, in the wake of continuity o the operations of the company in the best interests of the employees of the company, we decided to divert our manufacturing capacity for other orders in hadn, and become fully occupied by 15.11.2021. Hence, immediately on receipt of the rate match-III notice dt 15.11.2021, we immediately without ay delay, apprised of the reason of being unabe to supply the drug vide letter dt.16.11.2021 to your good selves". शेष फर्मों ने कोई जवाब नहीं दिया।

उक्त फर्मों के विरुद्ध बिड शर्तों के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 एवं दिनांक 13.12.2022 में रखा गया। सम्बन्धित फर्मों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया। फर्मों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों ने अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया।

निविदा शर्त सं. 9(7) में प्रावधान—"No Bidder shall be allowed to claim revision or modification of bid after opening of bid. If any bidder withdraws or modifies its bid after opening of

ter pro-

10%

bid the bid security taken from the bidder shall be forfeited. Representation to make correction in the Bid documents on the ground of Clerical error, typographical error, etc., committed by the Bidders in the Bids shall not be entertained after submission of the Bids. Conditions such as "SUBJECT TO AVAILABILITY" "SUPPLIES WILL BE MADE AS AND WHEN SUPPLIES ARE RECEIVED" etc., will not be entertained under any circumstances and the Bids of those who have given such conditions shall be treated as incomplete and accordingly the Bid will be rejected." निविदा शर्त स 19(1) में प्रावधान - "If the successful Bidder fails to execute the agreement and/or to deposit the required performance security within the time specified or withdraws his Bid after the intimation of the acceptance of his Bid has been sent to him or owing to any other reasons. he is unable to undertake the contract, his contract will be cancelled and the bid security deposited by him along with his bid, shall stand forfeited by the Bid Inviting Authority and he will also be liable for all damages sustained by the Bid Inviting Authority apart from blacklisting/ debarring the supplier. (As per guidelines for blacklisting/ debarring at annexure IX)". एवं डिबारिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 में प्रावधान "The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 year" उल्लेखित है।

सम्बन्धित फर्मे निविदा में उनके स्वयं द्वारा Quote की गयी दरों पर एवं Committed मात्रा तक, निविदा की शर्तो अनुसार सप्लाई दिये जाने हेतु बाध्य हैं। RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT RULES, 2013 के नियम 65 एवं 70 के अनुसार उपापन प्राधिकारी को Lowest अथवा Most Advantageous bid घोषित कर तदनुसार उपापन कार्यवाही किये जाने का प्रावधान हैं। स्वयं की Quote की गयी दरों पर आपूर्ति करने अथवा LOA को

स्वीकार करने से मना करना बिंड शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः बिंड शर्तों का उल्लंघन मानते हुए एवं अनुशासनात्मक समिति की अनुशंघा के अतः बिंड शर्तों का उल्लंघन मानते हुए एवं अनुशासनात्मक समिति की अनुशंघा के कम में M/s UNICURE INDIA LTD, M/s HEALERS LAB, M/s Prochem Pharmaceuticals Pvt.

Ltd., M/s Super Formulations Pvt. Ltd. एवं M/s SCOTT-EDIL PHARMACIA LTD को औषधि Ltd., M/s Super Formulations Pvt. Ltd. एवं M/s SCOTT-EDIL PHARMACIA LTD को औषधि आइटम कोड 28 (Paracetamol Tab IP 500 mg) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग आइटम कोड 28 (Paracetamol Tab IP 500 mg) के लिये आरएमएससी की अवधि के लिये (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये क्लैकलिस्ट/डिबार करने तथा उपरोक्त पांच निविदाताओं पर प्रत्येक पर क्रमशः राशि रु. 236000 /— (GST@18% सिहत) (अक्षरे राशि रू दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी अरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही आइटम के लिये उच्च दर अनुमोदन पर अन्तर राशि की वसूली उक्त फर्मा से करने के सम्बन्ध में प्रकरण में निर्णय लिया जाकर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रबन्ध निदेशक आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(326)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-16/2021/573 प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

Dated: 13 /02 /29

- 1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।

4. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।

- निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।

order.docx

कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।

8. OIC. Supply, आरएमएससीएल।

9. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि M/s UNICURE INDIA LTD, M/s HEALERS LAB, M/s Super Formulations Pvt. Ltd. एवं M/s SCOTT-EDIL PHARMACIA LTD द्वारा द्वारा बिंड सिक्योरिटी राशि के लिये Bid Security Declaration (on Rs.50/- stamp) लगाया गया था। फर्म की निगम में जमा राशि या कोई भुगतान बकाया है से राशि रू. 236000(GST@18% सहित) होल्ड करें। फर्म Prochem Pharmaceuticals Pvt. Ltd. की जमा बिड सिक्योरिटी राशि रू. 200000/- जब्त करें एवं शेष राशि रू. 36000/- फर्म के अन्य भुगतान से होल्ड करे। फर्मो द्वारा निर्धारित तिथि तक पेनल्टी राशि निगम में जमा नहीं कराने की स्थिति में अलग से यूओ. नोट द्वारा अवगत करवा दिया जावेगा।

40. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड़ करावें।

- 11. सम्बन्धित निविदादाता M/s UNICURE INDIA LTD- (C-22 & 23. Sector 3, Noida 201301 and 112&113, Ecotech-12, Greater Nodia (West)), M/s HEALERS LAB (Avanbai Mansions, 3, Vidhan Sabha Marg, Lucknow Pin 226001 (U.P)) M/s Super Formulations Pvt. Ltd. (16B & 15F. Industrial Area Maxi Road Ujjanin-Madhya pradesh Pin 456010) एवं M/s SCOTT-EDIL PHARMACIA LTD (54-55,INDL. AREA II, CHANDIGARH 160002) को भेजकर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी राशि रू. 236000/- (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रू दो लाख छत्तीस हजार मात्र) निगम में दिनांक 09.02.2023 तक जमा (डीडी/चालान/RTGS) कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।
- 12. सम्बन्धित निविदादाता M/s Prochem Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Kh.no. 140-141, Makkanpur. Tehsil Bhagwanpur Haridwar UK 247667 को भेजकर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी में से शेष राशि रू. 36000 निगम में दिनांक 09.02.2023 तक (चालान/डीडी/RTGS) द्वारा जमा कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।

13. रक्षित पत्रावली

आरएमएससीएल